| | |
|---|---|
| 8-1-2015 | पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8-1-2015 को पेश हो। रीडर |
| 8-1-2015 | पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित है/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर ~~हैं/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22-1-16 को पेश हो। रीडर |
| 22-1-16 | पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित हैं।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है। ~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19-2-16 को पेश हो। रीडर |
| 19-2-16 | वकील उभयपक्ष उप० है। विभाजन स्कीम तलब की जाकर पत्रा० दि० 12-3-16 को पेश हो |
| 12-3-16 | पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित है। तहसीलदार गंगापुर के यहां से विभाजन स्कीम प्राप्त हो चुकी है। इस विभाजन स्कीम से उभयपक्ष के वकील सहमत है। अतः तहसीलदार गंगापुर से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>(रविकुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी<br>(गोरधनलाल शर्मा) सेवानिवृत्त तहसीलदार सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी<br>(मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी |

1·6

# निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी (जिला सवाईमाधोपुर)

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
| --- | --- | --- |
| 109/2012 | 26.06.2012 | 12-03-2016 |

रूकमणी पुत्री स्व0 सूरजमल पत्नि जगमोहन सोनी जाति स्वर्णकार नि0 दौसा

---वादिया

**बनाम**

1. समता पुत्री सूरजमल — जाति स्वर्णकार
2. ममता पुत्री सूरजमल — निवासी सीतारामजी के मंदिर के पास
3. सुशीला बेवा सूरजमल — सब्जी मंडी चौक, गंगापुर सिटी
4. धनीराम पुत्र सूरजमल — तहसील गंगापुर सिटी
5. सुमन पत्नि स्व0 धर्मेन्द्र(नाम हजफ)
6. वैभव पुत्र स्व0 धर्मेन्द्र
7. विदूषी पुत्री स्व0 धर्मेन्द्र
8. डा0मूलचन्द पुत्र रतनलाल जाति सुनार नि. नगरपालिका के पास,गंगापुर सिटी
9. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा गंगापुर सिटी
10. लैण्ड़ होल्ड़र तहसीलदार सब रजिस्ट्रार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

**दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा**

उपस्थितः— श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, वादिया की ओर से
श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1 की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 5 ता 7 की ओर से
श्री अरविन्द कुमार अग्रवाल, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 9 की ओर से

वादिया ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादिया एवं प्रतिवादी नं0 1 लगायत 8 की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि ग्राम हिंगोट्या में ख0नं0 803 रकबा 0.01 हैक्टर, 804 रकबा 0.02 हैक्टर, 805 रकबा 1.20 हैक्टर, 960 रकबा 0.12 हैक्टर, 961 रकबा 0.70 हैक्टर, 1023/823 रकबा 0.18 हैक्टर कुल रकबा 2.23 हैक्टर स्थित है। इस भूमि में प्रतिवादी सं0 8 मूलचन्द का 1/2 हिस्सा तथा सूरजमल का 1/2 हिस्सा रहा है। सूरजमल का देहावसान हो गया है। सूरजमल के निधन के समय उसके वारिस दो पुत्र धर्मेन्द्र, धनीराम, तीन पुत्रियां रूकमणी (वादिया), समता, ममता एवं पत्नि श्रीमती सुशीला मौजूद थे परन्तु बाद में धर्मेन्द्र का भी देहावसान हो गया। उसके पीछे वारिस श्रीमती सुमन पत्नि, पुत्री विदूषी व पुत्र वैभव रहे हैं। सूरजमल की मृत्यु के बाद राजस्व कर्मचारियों ने खातेदारी इन्द्राज गलत रूप से केवल सूरजमल की बेवा सुशीला, पुत्र धर्मेन्द्र व

का हिस्सा सही प्रकार से दर्ज न होने के कारण धर्मेन्द्र के बेवा सुमन, पुत्री विदूषी व पुत्र वैभव ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर अपना हिस्सा 1/6 दर्ज करवाते हुए इस भूमि को बेचने का मानस बना लिया व लोगों के बहकावे में आकर भूमि का बिना बंटवारा कराए अपने हिस्से से ज्यादा भूमि बेचने पर उतारू हैं। सुमन, विदूषी व वैभव का हिस्सा 1/12 ही बनता है। दिनांक 16.6.2012 को उन्होने एलानिया धमकी दी है। अतः दावा वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर निवेदन है कि दावा वादिया डिक्री किया जाकर घोषित फरमाया जावे कि भूमि ख0नं0 803, 804, 805, 960, 961, 1023/803 ग्राम हिंगोट्या में वादिया का हिस्सा 1/12, प्रतिवादी सं0 1, 2, 3, व 4 का प्रत्येक का हिस्सा 1/12 व प्रतिवादी सं0 5, 6, 7 तीनों का हिस्सा 1/12 है। नामान्तरकरण जो सूरजमल की मृत्यु के उपरान्त खुला था को नल एण्ड वोइड घोषित फरमाया जावे। वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन करवाया जाकर प्रतिवादी सं0 8 को 1/2 भूमि व वादी एवं अन्य प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 के मध्य उक्त हिस्से अनुसार भूमि दिलाई जावे। प्रतिवादी सं0 5, 6, 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि भूमि खनं0 803, 804, 805, 960, 961, 1023/803 वाके ग्राम हिंगोट्या के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में वादिया को बाधा उत्पन्न नहीं करे व भूमि को बिना विभाजन कराए रहन वय नहीं करें ना हो किसी अन्य से करावें एवं प्रतिवादी सं0 10 को पाबंद फरमाया जावे कि वह भूमि के हस्तान्तरण हेतु कोई दस्तावेज पेश हो तो तस्दीक नहीं करे व मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलव किया गया। प्रतिवादी सं0 1, 2, 3, 4, 8, 10 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी सं0 5, 6, 7 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि वादिया व उसकी बहन समता तथा ममता ने अपने हिस्से को अपनी स्वयं की इच्छा से छोड दिया था इसलिए ही भूमि सूरजमल के बाद सुशीला, धनीराम तथा धर्मेन्द्र के नाम दर्ज हुई थी तथा धर्मेन्द्र के मरने के बाद विरासत प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 के नाम दर्ज हुई है। वादिया व उसकी दोनों बहनों ने अपना हिस्सा राजीखुशी धनीराम व धर्मेन्द्र तथा सुशीला के हक में छोड दिया था लेकिन अब वादिया, उसकी दोनों बहनों, सुशीला, धनीराम तथा मूलचन्द ने प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 के हिस्सें को हडपने के लिए आपस में साज कर रखा है तथा ये सभी प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 के हिस्से को हडपना चाहते हैं जो उन्होने विक्रय कर दिया है तथा विक्रय राशि भी चूकता प्राप्त कर अपने हिस्से पर कब्जा क्रेतागण का करवा दिया है तथा अपने हिस्से को विक्रय को पंजीयन के लिए विक्रय पत्र उपपंजीयक के यहां पेश कर दिया था लेकिन उसी समय वादिया की अन्य बहन समता द्वारा न्यायालय से गलत रूप से स्थगन लाकर पेश कर दिया इसलिए विक्रय पत्र का पंजीयन नहीं हो पाया जबकि कब्जा प्रतिवादी संख्या 5

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

लगायत 7 के हिस्से पर क्रेतागन का है। अतः दावा वादिया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 9 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि भूमि मिनजबाबदार के यहां रहन दर्ज है इसलिए दावा वादिया खारिज फरमाया जावे एवं भूमि को बदस्तूर रहन रखा जावे।

वादपत्र के समर्थन में वादिया ने नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070, फोटोकोपी प्रमाणपत्र सैकेण्ड्री स्कूल परीक्षा सन् 1983 पेश की है।

जबाब के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 तथा प्रतिवादी सं0 9 ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं।

वादिया का यह वाद दिनांक 31.3.2015 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई। तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम प्राप्त होकर पत्रावली में शामिल हो चुकी है।

पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। विभाजन स्कीम पर विद्वान वकील उभयपक्षकारों को सुना गया। उभयपक्षकारों के विद्वान वकीलों ने तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारो के मध्य भूमि का विभाजन करने का अनुरोध किया है फलस्वरूप प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादी का वाद डिक्री किए जाने योग्य है।

## आदेश

अतः तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य निम्नप्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है:–

1. मूलचन्द पुत्र रतनलाल जाति सुनार निवासी गंगापुर राहिन भारतीय स्टेट बैंक शाखा गंगापुर मुर्तहन की खातेदारी में भूमि ख0नं0 805/1 रकबा 0.60 हैक्टर, ख0नं0 960/1 रकबा 0.06 हैक्टर, ख0नं0 961/1 रकबा 0.35 हैक्टर ख0नं0 1023/803/1 रकबा 0.09 हैक्टर कुल रकबा 1.10 हैक्टर ग्राम हिंगोट्या रहेगी।

2. सुशीला पत्नि स्व0 सूरजमल हि0 1/6, धनीराम पुत्र सूरजमल हि0 1/6, विदूषी पुत्री धर्मेन्द्र, वैभव पुत्र धर्मेन्द्र हि0 1/6, समता, ममता, रूकमणी पुत्रियां सूरजमल हि0 1/2 जाति सुनार निवासी गंगापुर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 805/2 रकबा 0.60 हैक्टर, ख0नं0 960/2 रकबा 0.06 हैक्टर, ख0नं0 961/2 रकबा 0.35 हैक्टर ख0नं0 1023/803/2 रकबा 0.09 हैक्टर कुल रकबा 1.10 हैक्टर ग्राम हिंगोट्या रहेगी।

3. मूलचन्द पुत्र रतनलाल जाति सुनार निवासी गंगापुर राहिन भारतीय स्टेट बैंक शाखा गंगापुर मर्तहन हि0 1/2, सुशीला पत्नि स्व0 सूरजमल हि0 1/12, धनीराम पुत्र सूरजमल हि0 1/12, विदूषी पुत्री धर्मेन्द्र, वैभव पुत्र धर्मेन्द्र हि0 1/12, समता, ममता, रूकमणी पुत्रियां सूरजमल हि0 1/4 जाति सुनार निवासी गंगापुर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 803 रकबा 0.01 हैक्टर, ख0नं0 804 रकबा 0.02 हैक्टर ग्राम हिंगोट्या रहेगी।

जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

उपरोक्तानुसार पक्षकारों के नाम भूमि की खातेदारी दर्ज की जाकर पृथक पृथक खाते एवं पृथक पृथक लगान कायम किया जावे। इसी अनुसार राजस्व

अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( मुनिदेव यादव )
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

कलेक्टर एवं उप जिला ... गंगापुर सिटी
सत्यमेव जयते